



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 श्रावण 1940 (श10)

(सं० पटना 764) पटना, बृहस्पतिवार, 9 अगस्त 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

9 अगस्त 2018

एस० ओ० 222, दिनांक 9 अगस्त 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा :-

1. (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।
(2) ये नियम तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में,—

(i) नियम 109 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम 109क अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“109क. अपील प्राधिकारी की नियुक्ति— (1) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना ऐसे व्यक्ति को दी जाती है, तीन मास के भीतर, संयुक्त आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश उपायुक्त या सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर पदाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो।

(2) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन निदेशित कोई अधिकारी, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर, संयुक्त आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश उपायुक्त या सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर पदाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो।”;

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)2340)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

9 अगस्त 2018

एस० ओ० 222, दिनांक 9 अगस्त 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)2340)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 9th August 2018

S.O. 222, Dated 9th August 2018—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force from immediate effect.

2. *In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, -*

(i) after rule 109, the following rule 109A shall be inserted, namely:-

“109A. Appointment of Appellate Authority- (1) Any person aggrieved by any decision or order passed under this Act or the Central Goods and Services Tax Act may appeal to the Joint Commissioner (Appeal) where such decision or order is passed by the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner or Commercial Taxes Officers, within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person.

(2) An officer directed under sub-section (2) of section 107 to appeal against any decision or order passed under this Act or the Central Goods and Services Tax Act may appeal to the Joint Commissioner (Appeal) where such decision or order is passed by the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, or Commercial Taxes Officers, within six months from the date of communication of the said decision or order.”;

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-2) 2340)]

By the order of Governor of Bihar,

DR. PRATIMA,

Commissioner-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 764-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>